



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व ₹10,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु०अ०सं०- 680/2009 धारा-307/34 भा०द०सं० व 2बी(12) द०प्र०क्षे० अधिनियम में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०) जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अमित कुमार पुत्र भूरेलाल विश्वकर्मा निवासी ग्राम टुरेंडा, थाना मटौंध जनपद बांदा को धारा-307/34 भा०द०सं० व 2B(12) द०प्र०क्षे० अधिनियम में दोषसिद्ध करते हुये 10 वर्ष के कारावास व ₹10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
श्री मणिकर्ण शुक्ला



विवेचक-
उ०नि० वेदराम सिंह



पैरोकार- थाना मौदहा
का० शुभम